पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 67/2023

पार्वती पुत्री नानूराम पत्नी रामसिंह जाति कुम्हार (प्रजापती) निवासी कलाना हाल निवासी रामपुरा (कूंजी) तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा। :– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कड़वासरा व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कलाना के खाता सं0 761/668 के खसरा संख्या 1291/678 की 1.4550है0, खसरा सं0 677 की 2.1500है0, कुल खसरे 2 की 3.6050है0 बारानी खातेदारी में वादिया की 1/35 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जिसमें वादिया का नाम पार्वती की बजाय फुलवती दर्ज हो गया जबकि वादिया का सही नाम पार्वती है। अतः रोही मोजा कलाना के खाता सं0 761/668 में वादिया का नाम फुलवती की जगह पार्वती किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच फुलवती के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में फुलवती के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी फुलवती नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादिया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि कृषि भूमि में फुलवती का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner